राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3784 / 2022

किशोर सिंह ओलखा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.10.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्यारे लाल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा शहीद शमशेर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हुकमपुरा, बामलास, झुन्झुनू से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कामथली, सीकर में किया गया है। उनका तर्क है कि करीब एक वर्ष पहले ही आदेश दिनांक 14.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बायतू, पंजी, बाडमेर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हुकमपुरा, बामलास, झुन्झुनू में किया गया था एवं अपीलार्थी अपनी वरियता त्याग कर 16 वर्ष पश्चात् झुन्झुनू में पदस्थापित हुआ था, परन्तु एक वर्ष बाद ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

4. स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। स्थानान्तरण तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता है, जब तक यह प्रकट नहीं हो कि स्थानान्तरण नियमों के विरूद्ध हुआ है या दुर्भावनापूर्वक किया गया है। वर्तमान में स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी नियम का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है एवं न ही प्रत्यर्थी की दुर्भावना ही प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
6. आदेश आज दिनांक. 28.10.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)